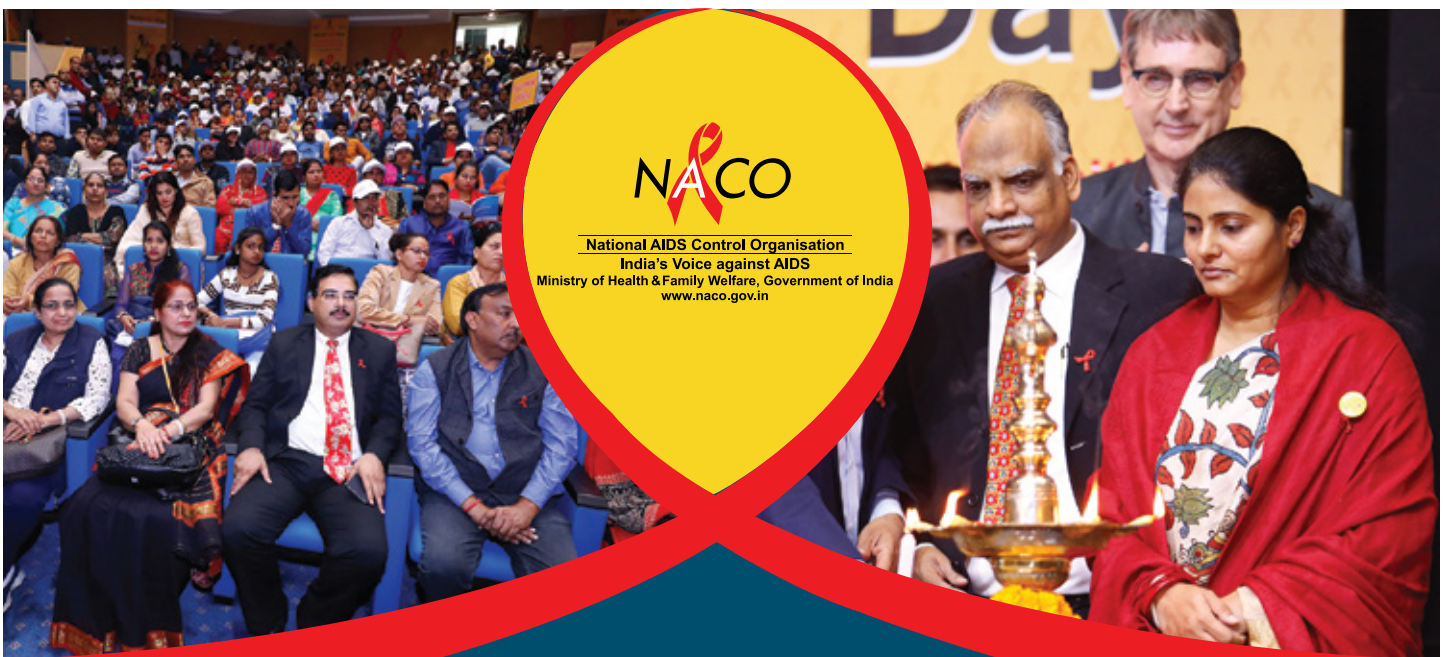

NACO

National AIDS Control Organisation
India's Voice against AIDS
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
www.naco.gov.in

नाको समाचार

अप्रैल – दिसंबर 2018
खंड X अंक 16 (I)

Beti Bachao Beti Padhao
स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
Chalo Banaayein Swasth Bharat
AIDS Helpline 1097

अनुक्रमणिका

समाचार अप्रैल – दिसंबर 2018

मुख्य लेख

विश्व एड्स दिवसः #know your status 06

फिल्मोत्सव 08

परियाजनाएं

बेंगलूरू और चेन्नै की जेलों और अन्य आबद्ध प्रतिष्ठानों में एच.आई.वी. और टी.बी. हस्तक्षेप शुरू करना 11

एच.आई.वी. अनुमान 2017 जारी 15

एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के संबंध में राज्य परामर्श 16

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का स्वच्छता पखवाड़ो के दौरान मुआइना..... 18

मां से बच्चे को एच.आई.वी. और उपदंश के संचारण का उन्मूलन करने के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला 18

एच.आई.वी./एड्स ओ.वी.सी. सामाजिक सुरक्षा परियोजना पर राष्ट्रीय प्रसार बैठक 19

भारत में मां से बच्चे में एच.आई.वी. और उपदंश के संचारण का उन्मूलन करने पर राष्ट्रीय कोर ग्रुप की पांचवी बैठक 21

भारत में पी.डब्ल्यू.आई.डी. के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक परामर्श 21

'भारत में रक्त की आवश्यकता के राष्ट्रीय अनुमान' पर अध्ययन 22

रक्तदान इंडिया– एक सामाजिक पहल 23

'चंडीगढ़ में एन.ए.सी.पी. IV में सार्वजनिक निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर को मजबूत करना'' के संबध में क्षेत्रीय कार्यशाला 24

भारत में प्रमुख पत्तनों में एच.आई.वी./एड्स हस्तक्षेप – एक अपडेट 25

'एन.ए.सी.पी. IV में सार्वजनिक निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर को मजबूत करना'' के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला..... 26

मेनस्ट्रीमिंग एवं सहभागिता और रिपोर्टों की साझेदारी का सुदृढ़ीकरण करने के लिए अंतर–मंत्रालय बैठक 28

सामाजिक और व्यववहारवादी परिवर्तन संवाद के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यशाला 29

हेल्पलाइन – 1097 अपडेट 30

संरक्षक की कलम से

प्रिय पाठकगण,

मैं नाको समाचार के इस संस्करण में सभी का स्वागत करता हूँ!

देश 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स का उन्मूलन करने के सतत–संपोषित विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को हासिल करने और 2020 तक 90:90:90 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की दिशा में, एचआईवी के कारण की कमी, मृत्यु–दर में न्यूनीकरण, एच.आई.वी. के संचारण में न्यूनीकरण, अपेक्षाकृत समयानुवर्ती संक्रमण विशेष रूप से तपेदिक और लिंकेज हानि के न्यूनीकरण के दीर्घावधि लाभ उपलब्ध कराने के लिए "जॉच और उपचार" नीति का लोकार्पण किया जाना एक ऐतिहासिक कदम था।

इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, सरकार द्वारा कुछ ऐतिहासिक कदमों जैसे "जॉच और उपचार" तथा मिशन सम्पर्क का लोकार्पण किया गया। इन पहलों के परिणाम स्वरूप, 1.85 लाख से अधिक पी.एल.एच.आई.वी. को ए.आर.टी. सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ, 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार, सरकार द्वारा 540 ए.आर.टी. केंद्रों के माध्यम से 12.67 लाख पी.एल.एच.आई.वी. को नि:शुल्क ए.आर.टी सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी। मैं यह आश्वासन देना चाहूँगा कि इन प्रयासों से पूरे देश में सभी एच.आई.वी के साथ जीवन जी रहे लोगों को लाभ मिलना जारी रहेगा।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने 10 सितंबर, 2018 से एचआईवी / एड्स अधिनियम, 2017 को प्रवृत्त करने अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा, 17 सितम्बर, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम भी अधिसूचित किए जा चुके हैं। राज्य सरकारें लोकपाल से संबंधित राज्य विनिर्दिष्ट नियमों को अधिसूचित करने के लिए अग्रसक्रियतापूर्वक कार्य कर रही हैं। पाठकगण को अधिनियम के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए, इस संस्करण के साथ एक समर्पित भाग प्रारंभ किया जा रहा है।
इस संस्करण के साथ नाको समाचार ई–सूचनापत्र बनने जा रहा है।

इस प्रयास में, मैं सूचनापत्र को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए आप सभी से अपनी बहुमूल्य राय देने का अनुरोध करता हूँ।

संजीव कुमार,
अपर सचिव और महानिदेशक
(नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.),
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

संयुक्त सचिव की कलम से

प्रिय पाठकगण,

मुझे नाको के ई–सूचनापत्र का प्रथम संस्करण प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

हाल ही में, प्रस्तुत किया गया एच.आई.वी. आकलन 2017 दर्शाता है कि भारत में एच.आई.वी. के साथ जीवन जी रहे लोग (पी.एल.एच.आई.वी.) लगभग 21.40 लाख हैं जिनमें वयस्क (15–49 वर्ष) की व्याप्ति 0.22: है। अनुमान है कि 2017 में लगभग 87.58 हजार नए एच.आई.वी. संक्रमण हुए हैं और एड्स के कारण 69.11 हजार मृत्यु हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एड्स नियंत्रण परियोजना का प्रभाव महत्त्वपूर्ण रहा है जहां 1995 में महामारी के चरम प्रकोप के बाद से अनुमानित नए संक्रमणों में 80% से अधिक गिरावट आई है। इसी तरह, एड्स से होने वाली अनुमानित मृत्यु में 2005 में इसकी चरम पराकाष्ठा के बाद 71% की गिरावट आई है।

परिवर्ती महामारी एवं महामारी के उत्प्रेरकों द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, नाको नई रोकथाम कार्यनीतियां भी खोज रहा है। लक्षित हस्तक्षेप कार्यनीतियों, सामुदायिक परामर्श और अपेक्षाकृत नई विद्याप्राप्ति का पुनर्गठन" के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में कारागारों और अन्य आबद्ध परिवेशों में एच.आई.वी. और तपेदिक हस्तक्षेप का लोकार्पण किया गया।

असंगठित क्षेत्र में सुग्राही आबादी के लिए सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से, नाको ने आई.एल.ओ. के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु "एच.आई.वी./एड्स के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण" के संबंध क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों, नियोक्ता संगठनों, व्यापार संघों, विभागों से विभिन्न हितधारकों को शामिल किया गया।

पहली बार, नाको ने पी.ई.पी.एफ.ए.आर, अमेरिकन सेन्टर और यू.एन.एड्स की सहभागिता के साथ, सार्वजनिक बातचीत में एच.आई.वी. और असुरक्षित यौन संबंध के खतरों को वापस लाने के बारे में चर्चा करवाने के लिए 1–8 दिसंबर 2018 तक "लिव लाइफ पॉजीटिवली एक फिल्मोत्सव" की मेजबानी की। फिल्मोत्सव में, भारत और अमेरीका में बनाई गई फिल्मों को दिखाया गया जो एक अज्ञात वायरस जो 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक के प्रारंभ में यूनायटेड स्टेट्स में दिखाई दिया था और जल्दी ही पूरे संसार को निगल गया था तथा वायरल के विरूध मानवता के संघर्ष को दिखाती है।

मुझे पूरी आशा है कि आपको नाको सूचनापत्र के इस संस्करण से डिजिटल बन जाने के लिए नाको की यह पहल पसंद आएगी। इन शब्दों के साथ, मैं अपने पाठकगण का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ!

श्री आलोक सक्सेना,
संयुक्त सचिव, नाको,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

संपादक की कलम से

प्रिय समस्त! पाठकगण,

सर्वप्रथम, मैं पिछले कुछ महीनों से नाको सूचनापत्रको नियमित रूप से प्रकाशित करने में रुकावट आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वास्तव में, हम नाको सूचनापत्र की शैली को ई–बुलेटिन फॉर्मेट में बदलने के लिए कार्य कर रहे थे और इसलिए यह रुकावट आई। मुझे उम्मीद है कि आप इस बुलेटिन के नए प्रारूप को पसंद करेंगे और इसकी सराहना करेंगे।

यद्यपि एच.आई.वी. / एड्स की रोकथाम और नियंत्रण में अत्यधिक प्रगति की गई है तथापि 2017 के आकलन के अनुसार, अभी भी हर वर्ष 88000 नए संक्रमण और एड्स के कारण 69000 मृत्यु हो रही हैं। 2017 में पी.एम.टी.सी.टी. की जरूरतें घटकर प्रति वर्ष 22677 रह गई हैं और वयस्क व्याप्ति की संख्या कम होकर .22% रह गई है। इसलिए हम सही दिशा में अग्रसर हैं लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर 2020 तक 90:90:90 के लक्ष्य और 2030 तक एड्स महामारी को समाप्त करने के एस.डी.जी. लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

कुछ–एक क्षेत्र जिन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है:

1. सी.बी.टी. के विस्तार के द्वारा उन सब तक पहुँचना, जो अपनी वस्तुस्थिति नहीं जानते हैं तथा आगे आने और एफ.आई.सी.टी.सी. एवं आई.सी.टी.सी. में जॉच करवाने हेतु सुग्राही आबादी के बीच जागरूकता पैदा करना। इसलिए, स्कूल जाने वाले / कॉलेज जाने वाले और स्कूल एवं कॉलेज से बाहर के युवाओं को शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। उनके लिए परियोजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन ही समय का तकाजा है।

2. जैसा कि हम 2020 तक मां से बच्चे को संचारण का उन्मूलन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए केन्द्रित ध्यान का एक अन्य क्षेत्र सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना और शुरुआती चरणों में एफ.आई.आई.वी. के लिए उनकी जॉच करवाना है, ताकि मां से बच्चे को संचारण का न्यूनीकरण करने के लिए उनका उपचार किया जा सके। इस अति विशाल कार्य के लिए, एन.एफ.आई.एम. और समस्त राज्यों को पूर्णतया लामबंद किए जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष, हमने लगभग 67% गर्भवती महिलाओं की जॉच पहले ही हासिल कर ली है, लेकिन डेढ़ वर्ष की शेष अवधि में, हमें उनमें से कम से कम 90% तक पहुँचना है।

3. वहां अनेक अन्य क्षेत्र हैं जिन पर केन्द्रित ध्यान दिया जा रहा है, जैसे

क) ए.आर.टी. ले रहे सभी लोगों के लिए वायरल लॉड जॉच सेवाओं का विस्तार।
ख) अपनी पहुँच को व्यापक बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ सहभागिता को बढ़ाना।
ग) कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ाना और सभी पी.एल.एच.आई.वी. के लिए बुनियादी पैकेज सुनिश्चित करना।
घ) सभी उच्च जोखिम आबादियों तक पहुँचने और वास्तविक स्थानों पर होने वाले यौन कार्यकलापों तक पहुँच हासिल के लिए सूचकांक जॉच को बढ़ाना।

मुझे विश्वास है कि हम संयुक्त प्रयासों के साथ अपनी सभी चुनौतियों पर विजय हासिल करेंगे।

आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ।

जय हिंद!

डॉ. नरेश गोयल,
डी.डी.जी. (आई.ई.सी. एवं एल.एस.),
स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

विश्व एड्स दिवसः #know your status

पूरे विश्व में हरसाल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एच.आई.वी. /एड्स प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण करने और एच.आई.वी. एवं एड्स से संक्रमित एवं प्रभावित लोगों को देखभाल एवं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व के लोगों के लिए एच.आई.वी. के विरुद्ध संघर्ष में एक जुट होने, एच.आई.वी. के साथ जीवन बिताने वाले लोगों के लिए अपनी सहायताको दिखाने और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है।

दिल्ली में विश्व एड्स दिवसगणमान्य व्यक्तियों के साथ के दौरान श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में, राज्यों द्वारा समुदायों, गैर–सरकारी संगठनों, युवाओं आदि को शामिल कर के जमीनी स्तर पर जागरुकता कार्य कलापों का संचालन किया जाता है। विश्व एड्स दिवस महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह जनता और सरकार को याद दिलाता है कि एच.आई.वी. अभी गया नहीं है, वहां जागरुकता पैदा करने, पूर्वा ग्रह से लड़ने और शिक्षा में सुधारलाने की अत्यंत महत्त्वपूर्ण आवश्यकता अभी भी विद्यमान है। अगर पलट कर इतिहास पर नजर डाली जाए तो विश्व एड्स दिवस ऐसा सर्वप्रथम वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था, जो पहली बार 1988 में आयोजित किया गया था।

हर साल की तरह, इस साल भी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डी.ए.आ.ई.सी.), जनपथ, नई दिल्ली में एक विशालकाय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में नागरिक समाज संगठनों, केन्द्र सरकार, अस्पतालों, समुदाय के सदस्यों, स्कूलों और कालेजों से विद्यार्थियों, एन.वी.के.एस. से स्वयंसेवियों, उच्च जोखिम समूहों (एच.आर.जी.) और पी.एल.एच.आ.ई.वी., गैर–सरकारी संगठनों से प्रतिनिधियों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास सहभागियों, विभिन्न सरकारी विभागों से अधिकारियों सहित 1,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.), श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव (नाको), डॉ. नरेश गोयल, डी.डी.डी. (नाको), डॉ. बिलाली कमारा, कंट्री डायरेक्टर (यू.एन.एड्स), डॉ. हेंकबेकदम, डब्ल्यू.एच.ओ. रिप्रेजेंटेटिवटू इंडिया और श्री ए.के. कौशल, परियोजना निदेशक (डी.एस.ए.सी.एस.) के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, श्रीमत अनुप्रिया पटेल द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (एन.ए.सी.पी.) से जुड़ी सेवाओं को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार

''हम 2030 तक सार्वजनिक रोग के रूप में एड्स महारोग को समाप्त करने के महत्वकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं, भारत सरकार समय पर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। आइये हम मिलकर एच.आई.वी. से लड़ें और 2030 तक इसका अंत करें।"

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी) *"राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम देश में एच.आई.वी./एड्स महारोग को रोकने और अंत करने में अत्यधिक सफल रहा है और अभी हमें आत्मसंतोष नहीं करना है क्योंकि देश 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में 'एड्स को समाप्त' करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है।"*

श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको *"भारत ने एच.आई.वी./एड्स से लड़ने में बेहतरीन काम किया है। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नाको को बधाई देता हूं। विषय 'अपनी वस्तुस्थिति जानिये' है मगर परियोजना के लिए विवरण जानना बहुत जरूरी है। अगर आप विवरण जानते हैं,एच.आई.वी./एड्स को जानते हैं तो आप यह भी जान जाएंगे कि इससे लड़ाई बेहतर है।"*

डॉ. बिलाली कमारा, कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, यू.एन. एड्स" *हमें सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की जांच की जाए और अच्छी सफलता हासिल की जाएं। हम दूसरे 90 के ओर बढ़ चले हैं जो निश्चित तौर पर दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा।"*

डॉ. हेंक बेकदम, भारत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि *"कौन सी बात नाको को असाधारण बनाती है, अगर एकदम सही बात की जाए तो ये है सभी हितधारकों के साथ सतत प्रणबद्धता एवं विचार–विमर्शकी इसकी सर्वप्रिय व्यवस्थाऔर सामुदायिक प्रणबद्धता।"*

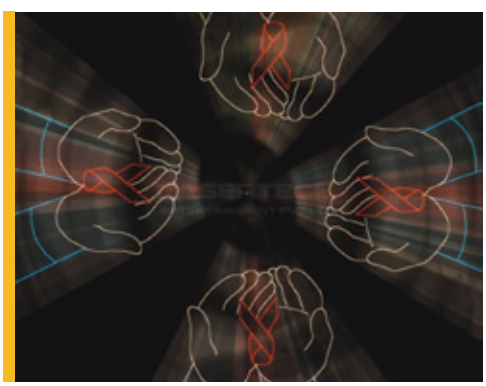

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को दर्शाता लेजर शो

सघन एच.आई.वी./टी.बी. प्रकरण निष्कर्ष एवं लिंकेज संबंधी प्रचालनिक दिशानिर्देशों का लोकार्पण

नाको कैलेंडर 2019–20 का लोकार्पण

सुश्री नेहा पाण्डेय
आई.ई.सी और एम.एस नाको

फिल्मोत्सव

एच.आई.वी./एड्स जैसे महरोगों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है और इसलिए इनका मुकाबला प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर करना चाहिए। एकजुटता की संभावित शक्ति को महसूस करते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने पी.ई.पी.एफ.ए.आर., अमेरिकन सेंटर और यूएनएड्स के साथ मिलकर 1 से 8 दिसंबर, 2018 तक लिव लाइफ पॉजिटिवली फिल्मोत्सव का आयोजन किया जिसमें भारत और अमरीका में निर्मित फिल्में दिखाई गई, इन फिल्मों में एक अज्ञात वायरस के खिलाफ इन्सानी संघर्ष को दर्शाया गया है जो अमेरिका में 1970 में और 80 के दशक के प्रारंभ में सामने आया था और जिसने जल्दी ही पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। फिल्मोत्सव का उद्घाटन श्रीमती प्रीति सूदन, सचिव (एच.एफ.डब्ल्यू.), भारत सरकार द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य हस्तियों में सुश्री मैरी के लॉस कार्लसन, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (यू.एस. एम्बेसी), श्री संजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक एवं डी.जी. (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव (नाको), श्री नरेश गोयल, डीडीजी (नाको) और डॉ. बिलाली कमारा, कंट्री डायरेक्टर (यू.एन.एड्स) शामिल थे।

बाएं से दाएं: सुश्री मैरी के लॉस कार्लसन, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, यू.एस. एम्बेसी, मानु और कार्तिक, फिल्मोत्सव में दिखाई गई पहली फिल्म 'लवसिक' के नायक–नायिका, श्री संजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.), श्रीमती प्रीति सूदन, सचिव (एच.एफ.डब्ल्यू.), भारत सरकार, डॉ. बिलाली कमारा, कंट्री डायरेक्टर (यू.एन.एड्स), श्री आलोक सक्सैना, संयुक्त सचिव (नाको), श्री नरेश गोयल, डीडीजी (नाको)

फिल्मोत्सव आयोजित करने का उद्देश्य अपने समय की कुछ शानदार और सफल फिल्में, जो अपने समय पर काफी लोकप्रिय हुई थी और कलंक और भेदभाव के साथ एच.आई.वी. के साथ जीवन बिता रहे लोगों को पेश आ रही समस्याओं के दायरे में अभी भी एकदम सटीक बैठती हैं, को फिर से दिखाकर एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सिनेमा की ताकत का उपयोग करना था। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में इतनी पुरानी हैं जितनी कि पुराना यह महारोग, मगर यह आज भी प्रासंगिक हैं विशेषकर इस तथ्य के दृष्टिगत कि आज की युवा पीढ़ी की वर्ल्डवाइड वेब के माध्यम से असीमित सूचना तक पहुंच है मगर वे एच.आ. ई.वी./एड्स और इसकी रोकथाम को नजरंदाज कर रहे हैं और उन्हें इनका खतरा अधिक है। यह समय है कि हम अपने इतिहास से सबक सीखें और 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य को याद करें। इस फिल्मोत्सव के पीछे मुख्य विचार यह था कि सार्वजनिक मंच पर एच.आई.वी. के खतरों और असुरक्षित यौन संबंध के बारे में चर्चा करवाई जाए।"

1 दिसंबर 2018 को फिल्मोात्सीव के उद्घाटन समारोह में श्रीमती प्रीति सूदन, सचिव (स्वा. एवं प.क.), भारत सरकार

'"मुझे आशा है कि यह फिल्म फेस्टीवल एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने, इससे लड़ने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह बताएगा कि इतिहास से कैसे सबक सीखे जा सकते हैं, जो हमें 2030 तक एड्स को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकते हैं।"

'"मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि फिल्मोत्सव में चुनिंदा फिल्में एच.आई.वी./एड्स महारोग से संघर्षका उत्सव मना रही हैं। विगत वर्षों के दौरान इसने परिवारों, समुदायों, समाजों और देशों को कैसे प्रभावित किया है और चिकित्सा समाज, शोधकर्ता, नागरिक समाज समूह, व्यक्तियों और सरकारों ने साथ मिलकर से इससे लड़ाई लड़ी है। मुझे विश्वास है कि इन फिल्मों से कईयों को लाभ होगा।"

श्री संजीव कुमार, अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक, नाको और आर.एन.टी.सी.पी. 1 दिसंबर, 2018 को फिल्मोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए

श्री अशोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको 8 दिसंबर, 2018 को फिल्मोत्सव के समापान समारोह के दौरान

"फिल्मोत्सव के दौरान प्राप्त शानदार प्रतिक्रिया को देखना मेरे लिए गर्व की बात है और मैं आशा करता हूं कि हम यहीं पर नहीं रुकेंगे बल्कि इस एक प्रयास को हम एक श्रृंखला में बदलेंगे ओर आने वाले समय में इसी तरह के कई और मिसालें कायम करेंगे।"

इस फेस्टीवल के दौरान ये फिल्में दिखाई गईः 1 दिसंबरः लव सिक, 3 दिसंबरः फिलाडेलफिया, 4 दिसंबरः फिर मिलेंगे, 6 दिसंबरः डालाज बॉयर्स क्लब, 7 दिसंबरः मिल्क और 8 दिसंबरः लोंग टाइम कंपेनियन। ये फिल्में अमेरिकन सेंटर, 24 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली में दिखाई गई।

भारत सरकार के शानदार प्रयासों और एच.आई.वी/एड्स के क्षेत्र में विकास साझेदारों की मदद से आंकड़ों के संदर्भ में काफी कुछ नियंत्रण में लाया गया है मगर संभावित भूकंप, जो कभी भी फट सकता है, पर बैठने का अहसास और खतरा हमेशा बना रहेगा। इसको ध्यान में रखकर, यह फिल्मोत्सव उन युवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने का एक प्रयास था, जिनको इसका सबसे ज्यादा खतरा है और एच.आई.वी./एड्स के बारे में उन्हें नियमित और उचित सूचना की जरूरत है, जिसका मुख्य कारण यौन संबंध बनाने की निरंतर घटती उम्र और सुरक्षित यौन संबंध पर जोर नहीं दिया जाना और ड्रग्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करना है।

फिल्मोत्सव के नतीजे किसी जीत से कम नहीं थे, इसने विश्व में स्वीकृत भावनाओं की भाषा को देखने के लिए एक मंच मुहैया कराया और इसके बाद, कई डिजिटल प्लेटफार्म पर विस्तृत पैनल चर्चा हुई और कई अनौपचरिक चर्चाएं भी हुई।

सुश्री ज्योतिका चीमा, आई.ई.सी. और एम.एस., नाको

बेंगलूरू और चेन्नै की जेलों और अन्य आबद्ध प्रतिष्ठानों में एच.आई.वी. और टी.बी. हस्तक्षेप शुरू करना

कर्नाटक

श्री जावेद अख्तर, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक में जेलों और अन्य क्लोज्ड सेटिंग में एच.आई.वी. और टी.बी. हस्तक्षेप पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया ।

श्री जावेद अख्तर, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा 6 सितंबर, 2018 को बेंगलूरू में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कर्नाटक में जेलों और अन्य क्लोज्ड सेटिंग्स में एच.आई.वी. और टी.बी. हस्तक्षेप का आयोजन किया गया । इसमें डॉ. शोभिनी राजन, ए.डी.जी. (नाको), डॉ. अनूप पुरी, डीडीजी (नाको), श्री एन.एस. मेघरिख, आई.पी.एस., अपर महानिदेशक, पुलिस और महानिरीक्षक, जेल, कर्नाटक सरकार; श्री पंकज कुमार पांडे, आई.ए.एस., स्वास्थ्य आयुक्त, कर्नाटक सरकार, डॉ. शामला इकबाल, आई.ए.एस. परियोजना निदेशक (कर्नाटक राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी), श्रीमती सुरेखा विजयप्रसाद, संयुक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, कर्नाटक सरकार, डॉ. भवानी सिंह, उप निदेशक (टी.आई.), (नाको), डॉ. मंजुला, राज्य टी.बी. अधिकारी, कर्नाटक सरकार, श्री राजू गौडा, सदस्य, कर्नाटक राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण एवं डॉ. साई शुभश्री राघवन, अध्यक्ष (साथी) उपस्थित थे।

श्री जावेद अख्तर, आई.ए.एस., प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक में जेलों और क्लोज्ड सेटिंग्स में एच.आई.वी. और टी.बी. हस्तक्षेप पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया और डॉ. शोभिनी राजन, ए.डी.जी, नाको द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल विमोचन किया गया। कर्नाटक राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी और राज्य जेल विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए और इसका आदान–प्रदान किया गया। इसमें निम्नलिखित विभागों के 140 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया : नाको, के.एस.ए.पी.एस, जेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण, एन.जी.ओ., सी.बी.ओ. साथी, टी.आई. के प्रतिनिधि, आर.एन.टी.सी.पी. के कार्यक्रम अधिकारी, स्वाधार उवं उज्ज्वला होम्स के प्रतिनिधि।

श्री जावेद अख्तर, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राज्य में एच.आई.वी. की वर्तमान दर में कमी लाने के लिए के.एस.ए.पी.एस की टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा "हस्तक्षेपों की सफलता विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल पर निर्भर करती है।"

डॉ. अनूप पुरी ने कहा ''टी.बी. एक एच.आई.वी. का सामान्य सह–संक्रमण है और उन्होंने राज्य के टी.बी. सेल को जेलों और अन्य बंद प्रतिष्ठानों में साथी कैदियों में एच.आई.वी–टी.बी. के मसले का समाधान करने के लिए राज्य एड्स रोकथाम सोसायटी के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। डॉ. शोभिनी राजन, ए.डी.जी., नाको ने कहा कि भारत में जेलों से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जेलों में साथी कैदियों में एच.आई.वी., यौन संचारित संक्रमणों, हेपेटाइटिस सी और तपेदिक का प्रचलन आम जनता के मुकाबले अधिक है। श्री एन.एस. मेघरिख ने अपने संबोधन में कहा कि जेलों में अत्यधिक भीड़ टी.बी., एस.टी.आई. और एच.आई.वी./एड्स सहित अन्य रोगों के फैलने का मुख्य कारण है।

श्री पंकज कुमार पांडे ने कहा कि कैदी और अन्य बंद प्रतिष्ठानों के लोग उन लोगों में से हैं जिन्हें विशेषकर एच.आई.वी.–टी.बी. के मामले में विशेष देखभाल की आवश्यकता है। डॉ. भवानी सिंह ने देशभर में जेलों के लिए किए जा रहे अध्ययनों के संदर्भ में मौजूदा कार्यक्रम के विकास पर चर्चा की। उन्होंने जेलों और बंद प्रतिष्ठानों में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने और सेवा प्रदायगीप्रणाली को मजबूत बनाने एवं पॉजिटिव साथी कैदियों के लिए अनुपरीक्षण के महत्त्व पर बलदिया ।

डॉ. शामला इकबाल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि सुभिक्षा नामक परियोजना का उद्देश्य उज्ज्वला, स्वाधार एवं राज्य द्वारा संचालित गृहों में कैदियों एवं साथी कैदियों के लिए एच.आ. ई.वी.–टी.बी. रोकथाम की पहुंच और गुणवत्ता एवं उपचार सेवाओं में सुधार लाना है।

तमिलनाडु

डॉ. विजयभास्कर, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तमिलनाडु सरकार ने उद्घाटन समारोह के दौरान, तमिलनाडु में जेलों और अन्य क्लोज्ड सेटिंग में एच.आई.वी. व टी.बी. हस्तक्षेपों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया।

डॉ. विजयभास्कर, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तमिलनाडु सरकार ने उद्घाटन समारोह के दौरान, तमिलनाडु में जेलों और अन्य बंद प्रतिष्ठानों में एच.आई.वी. व टी.बी. हस्तक्षेपों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया।

डॉ. विजयभास्कर, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में 7 सितंबर, 2018 को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में तमिलनाडु में जेलों और अन्य बंद प्रतिष्ठानों में एच.आ. ई.वी. व टी.बी. हस्तक्षेपों का शुभारंभ किया था। इसमें डॉ. जे. राधाकृष्णन, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार, डॉ. के. संथिल राज, परियोजना निदेशक, टी.ए.एन.एस.ए.सी.एस. व राज्य टी.बी. विभाग, श्री आशुतोष शुक्ला, अपर

महानिदेशक, पुलिस (जेल), तमिलनाडु सरकार, डॉ. अनूप के. पुरी, डी.डी.जी., (नाको), डॉ. शोभिनी राजन, सहायक महानिदेशक (नाको), डॉ. रजनी रामचंद्रन, राष्ट्रीय व्यावसायिक अधिकारी, डब्ल्यू.एच.ओ., भारत, श्रीमती अमुथावल्ली, निदेशक, सामाजिक कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार, श्री आर. ललवीना, आयुक्त, सामाजिक सुरक्षा विभाग, तमिलना. डु सरकार, सुंदरमूर्ति, सीनियर सिविल जज, राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण, तमिलनाडु, डॉ. भवानी सिंह, उप–. निदेशक–टी.आई., (नाको), डॉ. साईं शुभश्री, राघवन, अध्यक्ष, साथी, और श्री ब्रुनो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (चेन्नई जोन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार उपस्थित थे। तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, जेल विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग के बीच एक एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किए गए और इसका आदान–प्रदान किया गया।

डॉ. विजयभास्कर, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि टी.एन.एस.ए.सी.एस. 2030 तक एच.आई.वी. को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार समग्र लक्ष्य हासिल करने के लिए जेलों और अन्य बंद प्रतिष्ठानों में परियोजना कार्यान्वित करने के लिए सभी जरूरी सहायता मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. जे. राधाकृष्णन ने जेलों और अन्य क्लोज्ड सेटिंग्स में कैदियों के साथियों सहित सभी के लिए समान स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने पर जोर दिया और आश्वस्त किया कि विभाग प्रस्तावित एच.आई.वी. हस्तक्षेप के तहत उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

श्री अशुतोष शुक्ला, अपर महानिदेशक, जेल, तमिलनाडु सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि आई.सी.टी.सी., जो तमिलनाडु एड्स नियंत्रण सोसायटी की सहायता से सभी नौ केन्द्रीय जेलों में स्थापित किए गए थे, जेलों में रह रहे साथी कैदियों के लिए जांच सेवाएं मुहैया कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राज्य की सभी जिला जेलों में आई.सी.टी.सी. सुविधाओं का विस्तार करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उनका विभाग पुनः जुर्म की दुनिया में लौटने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है अतः उन्होंने एस.ए.सी.एस., एस. डब्ल्यू.डी. और अन्य संबंधित विभागों एवं एन.जी.ओ. को जेल से छूटे लोगों के सामाजिक पुनर्वास के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने का भी सुझाव दिया। श्री आर. ललवेना, आयुक्त सामाजिक सुरक्षा, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इन सेटिंग्स में रह रही अधिकांश महिलाएं सामजिक रूप से कमजोर तबकों से हैं और इनमें से कई जेन्डर आधारित हिंसा की पीड़ित हैं या उच्च जोखिम वाले यौन व्यवहार के इतिहास वाली हैं। उन्होंने सिविल सोसायटी संगठनों, जो एच.आई.वी. और टी.बी. हस्तक्षेप को कार्यान्वित कर रहे हैं, से अनुरोध किया कि वे घर से निकलने के बाद लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करें। निम्नलिखित विभागों से 140 से अधिक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया नाको, एस.ए.पी.एस, जेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण, एन.जी.ओ., सी.बी.ओ. साथी, टी.आई. के प्रतिनिधि, आर.एन.टी.सी.पी. के कार्यक्रम अधिकारी, स्वाधार एवं उज्ज्वला होम्स के प्रतिनिधि।

तेलंगाना

श्री संजीव कुमार, ए.एस. और डी.जी. (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) जेलों और अन्य बंद प्रतिष्ठानों में एच.आई.वी. व टी.बी. हस्तक्षेपों के शुभारंभ के दौरान

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) ने हैदराबाद में 9 मई, 2018 को तेलंगाना में जेलों और अन्य क्लोज्ड सेटिंग्स में एच.आई.वी. व टी.बी. हस्तक्षेपों के शुभारंभ किया। इस दौरान, श्री सैदाह, उपमहानि. रीक्षक, जेल, तेलगांना सरकार, डॉ. प्रीति मीना, आई.ए.एस., परियोजना निदेशक, तेलंगाना राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, श्रीमती विजिन्द्रा बोई, आई.ए.एस., निदेशक महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार, श्री सुनील कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय निदेशक, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, श्री बी.आर. मधुसूदन राव, सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, डॉ. साई शुभश्री राघवन, अध्यक्ष साथी उपस्थित थे।

एस.ए.सी.एस., राज्य जेल विभाग और एस.ए.सी.एस. तथा महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए और इसका आदान–प्रदान किया गया।

श्री संजीव कुमार ने बताया कि विकास परियोजनाओं के हर कोने में शिकायतें और सीमाएं मौजूद हैं मगर समुदाय को मजबूत करना अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने एस.ए.सी.एस. और आर.एन.टी.सी.पी. से अधिक समन्वित तरीके से गतिविधियां चलाने के लिए एक प्रणाली तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कंडोम उपब्ध कराने के कदम की सराहना की और इसका स्वागत किया। उन्होंने एस.ए.सी.एस, जेल, डब्ल्यू.डी. एंड सी.डी. एन.जी.ओ., सी.बी.ओ और टीबी विभाग के बेहतर तालमेल पर जोर दिया ताकि जेलों और अन्य बंद प्रतिष्ठानों में प्रस्तावित गतिविधियों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। श्री सैदाह, उपमहानिरीक्षक, जेल, तेलंगाना सरकार ने बताया कि राज्य जेल विभाग द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल पंप सहित दुकानों में रोजगार के अवसर मुहैया कराकर कैदियों को पुनःअपराधी बनने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। श्री मधुसूदन राव, सदस्य सचिव–राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण (एस.एल.एस.ए.) ने सूचित किया कि अधिवक्ता, जो राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण के भाग हैं, एच.आई.वी.–टी.बी. और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर पहले से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा ''एस.एल.एस.ए. कानूनी सहायता मुहैया कराने के साथ राज्य में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने में महिला यौन कर्मी टी.जी. की मदद कर रहा है।''

इस कार्यक्रम में नाको के वरिष्ठ अधिकारियों, तेलंगाना एस.ए.सी.एस., राज्य जेल विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, राज्य सेवा विधायी प्राधिकरण, एन.जी.ओ., सी.बी.ओ. टी.आई. प्रतिनिधियों, आर.एन.टी.सी.पी के कार्यक्रम अधिकारियों, डब्ल्यू.डी. एंड सी.डब्ल्यू., स्वाधार एवं उज्ज्वला होम्स और साथी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ओडिशा

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) ने भुवनेश्वर में 10 मई, 2018 को ओडिशा में जेलों और अन्य बंद प्रतिष्ठानों में एच.आई.वी. व टी.बी. हस्तक्षेपों का शुभारंभ किया। इसमें डॉ. प्रमोद कुमार महेन्द्र, आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार; श्री गोपाबंधु मलिक, डीआईजी, जेल, ओडिशा सरकार, डॉ. लिंगराज मिश्रा, निदेशक परिवार कल्याण, ओडिशा सरकार, डॉ. संजय कुमार पटनाइक,

परियोजना निदेशक, ओडिशा एस.ए.सी.एस., डॉ. एस.के. सिंह अधीक्षक, स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, ओडिशा, डॉ. भवानी सिंह, उप–निदेशक (टी.आई.), नाको, डॉ. दीपक रंजन साहु उप सचिव, राज्य विधायी सहायता सेवा, ओडिशा, डॉ. प्रशांत कुमार होता, राज्य टी.बी. अधिकारी, ओडिशा और डॉ. साई शुभश्री राघवन, अध्यक्ष, साथी उपस्थित थे।

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि एच.आई.वी. और टी.बी. हस्तक्षेप हाल ही में देश के सात राज्यों में शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एच.आई.वी. और टी.बी. को एक साथ मिलाने से अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए समन्वित प्रयासों के लिए एक अवसर उपलब्ध हुआ है। उन्होंने दोहराया कि छिपी हुई और दुर्गम्य आबादीको 2025 तक टी.बी. और 2030 तक एच.आई.वी. के उन्मूलन के लिए अंतिम व्यक्ति के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

डॉ. प्रमोद कुमार महेन्द्र ने अपने भाषण में बताया कि कुछ आबादी, जो पहले शामिल नहीं की गई थी, को टी.बी. और एच.आ.

डॉ. भवानी सिंह, उप–निदेशक (टी.आई.), नाको ने एन.ए.सी.पी के विकास पर संक्षेप में अपनी बात रखी

ई.वी./एड्स के उन्मूलन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए अंतिम प्रयास के भाग के रूप में शामिल किए जाने की जरूरत है।

श्री गोपालबंधु मलिक ने जेलों और अन्य क्लोज्ड सेटिंग्स में रह रहे लोगों को एच.आई.वी. रोकथाम एवं उपचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए एन.जी.ओ./सी.बी.ओ. सहित अधिक सिविल नागरिक संगठनों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

डॉ. भगवान सिंह ने देश में एच.आई.वी. को रोकने और समाप्त करने में कार्यक्रम की प्रगति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ओडिशा एस.ए.सी.एस. को वांछित परिणाम हासिल करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिनमें नाको के वरिष्ठ अधिकारी, एस.ए.सी.एस., राज्य जेल विभाग, स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग, महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, राज्य सेवा विधायी प्राधिकरण, एन.जी.ओ., सी.बी.ओ. टी.आई. प्रतिनिधियों, आर.एन.टी.सी.पी के कार्यक्रम अधिकारियों, स्वाधार एवं उज्ज्वला होम्स और साथी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री अब्राहम लिंकन, तकनीकी विशेषज्ञ–हार्म रिडक्शन,
सुश्री सोफिया खुमुकशाम, कार्यक्रम अधिकारी–आई.डी.यू.
सुश्री किम होजेल, तकनीकी अधिकारी–आई.डी.यू.

एच.आई.वी. अनुमान 2017 जारी

"भारत एच.आई.वी. आकलन 2017" के लोकार्पण में श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको और आर.एन.टी.सी.पी.)

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) ने 14 सितंबर 2018 को "भारत एच.आई.वी. आकलन 2017" का लोकार्पण किया। नाको भारतीय चिकित्सा परिषद (आई.सी.एम.आर.)–राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान (एन.आई.एम.एस.) के साथ मिलकर हर दो वर्ष में एक बार एच.आई.वी आकलन तैयार करता है। एच.आई.वी. आकलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रस्तर पर भारत में एच.आई.वी. महारोग के बारे में अद्यतन सूचना मुहैया कराना है।

"भारत एच.आई.वी. आकलन 2017" के लोकार्पणके दौरान गणमान्य व्यक्ति

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वयस्कों में 0.22 प्रतिशत प्रचलन के साथ एच.आई.वी. के साथ जिंदगी बिता रहे लोगों (पी.एल.एच.आई.वी.) की अनुमानित संख्या लगभग 21.40 लाख है। एक अनुमान के अनुसार, 2017 में लगभग 87.58 हजार नए एच.आई.वी. संक्रमण के मामले सामने आए और 69.11 हजार लोगों की मृत्यु एड्स के कारण हुई।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का प्रभाव शानदार रहा है और 1995 में महारोग के उच्चतम आंकड़ें की तुलना में अनुमानित नए संक्रमणों में 80% से अधिक की कमी आई है। इसी प्रकार, 2005 में उच्चतम आंकड़े के तुलना में मौतों में 71% तक की कमी आई है। यू.एन.एड्स 2018 रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतम आंकड़े की तुलना में नए संक्रमण और एड्स संबंधी मौतों में क्रमशः 47% और 51% की कमी आई हैं

श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव (नाको), डॉ. बिलाली कमारा, कंट्री डायरेक्टर (यू.एन.एड्स इंडिया), डॉ. स्वरूप सरकार, निदेशक संचारणीय रोग विभाग (डब्ल्यू.एच.ओ. एस.ई.ए.आर.ओ.), डॉ. डी.सी.एस. रेड्डी, पूर्व विभागाध्यक्ष, पी.एस.एम., आयुर्विज्ञान संस्थान, बी.एच.यू. डॉ. रमन आर., गंगाखेडकर, वैज्ञानिक, जी. और अध्यक्ष, एपिडोमिलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज, आई.सी.एम.आर., डॉ. पेडेन (भारत के लिए डिप्टी डब्ल्यू.एच.ओ. प्रतिनिधि), डॉ. रेयन डी. मैकजी (डिप्टी कंट्री डायरेक्टर, सी.डी.सी. इंडिया, डॉ. डी.के. शुक्ला, वैज्ञानिक जी. और अध्यक्ष एन.डब्ल्यू.जी, आई.सी.एम.आर.–एन.आई.एम.एस. और डॉ. शोभिनी राजन, ए.डी.जी., एस.आई. नाको और विकास साझेदारों, नागरिक समाज, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निगरानी संस्थानों और विभिन्न राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डॉ. अरविंद कुमार,
निगरानी–एस.आई., नाको

एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के संबंध में राज्य परामर्श

पृष्ठ भूमिः हयूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बिल, 2014 संसद में पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल, 2017 को प्राप्त की गई थी। अधिनियम 21 अप्रैल, 2017 को ई–गैजेट में अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम विशिष्ट और कानून का प्रगतिशील भाग है और यह अपनी तरह का पहला अधिनियम है जो कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के अलावा, एच.आई.वी. के साथ जीवन बिता रहे लोगों (पी.एल.एच.आई.वी.) और एच.आई.वी. से पीड़ित लोगों की सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक समर्थ वातावरण मुहैया कराता है। इस अधिनियम के अनुसार, केन्द्र और राज्य सरकारों को एंटी–रिट्रोवायरल थैरेपी (ए.आर.टी.) से संबंधित निदान सुविधाएं और समयानुवर्ती संक्रमण उपचार मुहैया कराना चाहिए। यह अधिनियम व्यावसायिक जोखिम को रोकने के लिए स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में सुरक्षित कार्यस्थल को बढ़ावा देता है और राज्य स्तर पर लोकपाल तैनात करके और स्थापना स्तर पर शिकायत अधिकारी नियुक्त करके शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाता है।

अधिसूचनाः 10 सितंबर, 2018 को एच.आ. ई.वी. और एड्स अधिनियम अधिसूचित किया गया था। अधिनियम इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार नियमावली (धारा 47), राज्य सरकार नियमावली (धारा 46) को बनाने का अधिदेश देता है। केन्द्र सरकार नियमावली एवं दिशानिर्देश संसद में अधिसूचित किए जाएंगे जबकि राज्य सरकार नियमावली संबंधित राज्य की विधानसभा में अधिसूचित की जाएगी।

कार्यविधिः केन्द्र सरकार नियमावाली और आदर्श राज्य नियमावली तैयार करने के लिए जे.वी.आर. प्रसाद राव, भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में नाको में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। पूरे भारत में क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए, जिनमें नाको, एस.ए.सी.एस., सिविल सोसायटी के सदस्यों, विकास साझेदारों, संस्थानों, समुदाय प्रतिनिधियों पॉजिटिव नेटवर्क और कार्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन परामर्शों के दौरान, प्राप्त सूचना और जानकारी के आधार पर केन्द्र सरकार नियमावली एवं आदर्श राज्य नियमावली तैयार की गई थी।

केन्द्र सरकार नियमावलीः केन्द्र सरकार नियमावली 17 सितंबर, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इन नियमों में स्थापनाओं के लिए एच.आई.वी. और एड्स नीति (धारा 12) और स्थापनाओं में शिकायत निवारण प्रणाली (विचारार्थ विषय, समता और मामला निपटान का तरीका, अनुपालन अधिकारी की गोपनीयता आदि) (धारा 21) की अधिसूचना का तरीका शामिल किया गया था।

राज्य सरकार नियमावलीः नाको ने एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के लिए आदर्श प्रारूप नियमावली तैयार की है ये नियम प्रारूप में हैं और जनसांख्यिकी, राज्य शासन विधि, प्रचलन, भूगोल, एच.आर.जी. आबादी और पी.एल.एच.आ. ई.वी.के अनुसार अपनाए जाने के लिए तैयार हैं। लोकपालों की संख्या, उनका स्थापन, व्याप्ति, अपीली अधिकारिता, उनकी नियुक्ति/चयन और पारिश्रमिक, शक्तियां और ए.आर.टी. की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला दीर्घकालिक मॉडल और समयानुवर्ती संक्रमण के उपचार की व्यवस्था संबंधी निर्णय राज्यों द्वारा लिए जाएंगे।

राज्यों की भूमिकाः नाको से पत्र मिलने के बाद अधिनियम पर राज्यों के साथ परामर्श करके उनके हितों की रक्षा की गई है। सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ए.एस.एंड डी.जी., नाको और आर.एन.टी.सी.पी. की ओर से सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों/एन.सी.टी. को पत्र भेजे गए थे। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य था जिसने पहल करते हुए अधिनियम पर राज्य परामर्श आयोजित किया।

छत्तीसगढ़ राज्य नियमावली बनाने वाला भी पहला राज्य था और इसके बाद कर्नाटक ने अपनी राज्य नियमावली तैयार की। दूसरे राज्यों में इनको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नियमावली बन जाने के बाद विधि एवं न्याय विभाग द्वारा इनकी विधीक्षा की जाएगी और इसके बाद, इन्हें संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जाएगा।

नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अप्रैल–दिसंबर, 2018 के दौरान राज्य परामर्श की स्थिति को दर्शाया गया है।

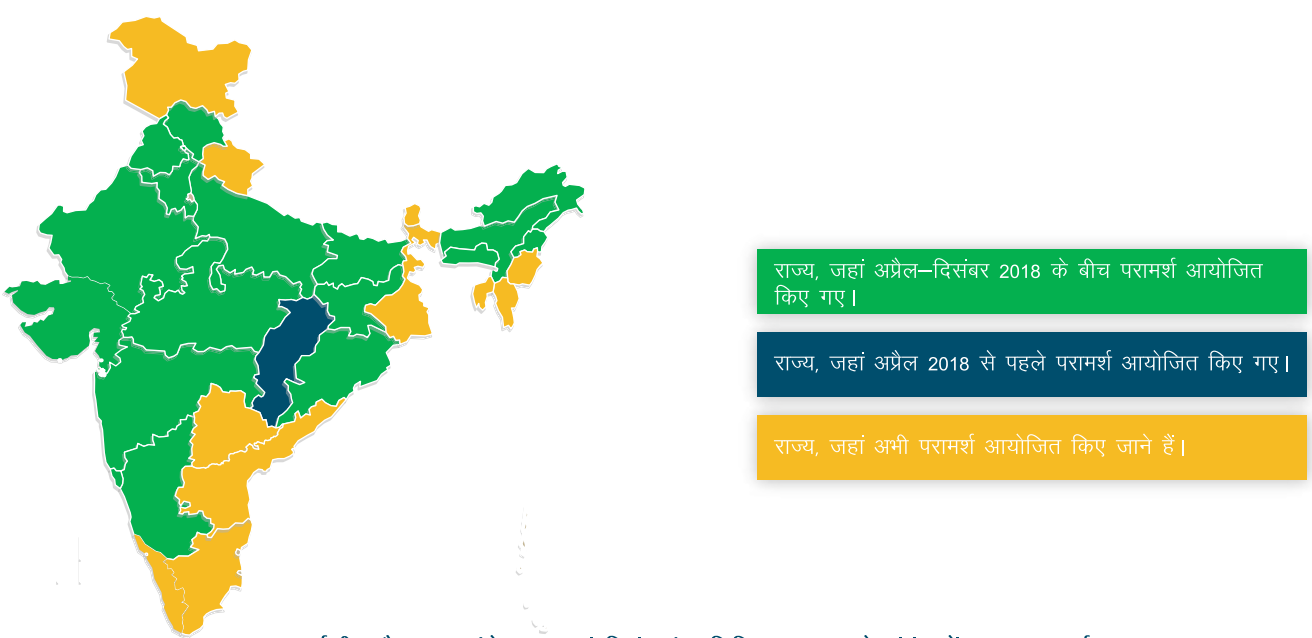

एच.आई.वी. और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के संबंध में राज्य् परामर्श

सुश्री गरिमा शर्मा,
कंसलटेंट

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का स्वच्छता पखवाड़ो के दौरान मुआइना

श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 13 अप्रैल, 2018 को नाको का दौरा किया, उनका यह दौरा स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा था जिसका उद्देश्य भारत के शहरों, छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों, सड़कों और अवसरंचना की सफाई करना था। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों में परिवार और समुदाय द्वारा अपने शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच करने की कुप्रथा को समाप्त करना और शौचालय उपयोग की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार प्रणाली स्थापित करना शामिल हैं। उन्होंने नाको के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों से भी बातचीत की।

श्री आलोक शर्मा, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार का स्वागत करते हुए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने अपने संबोधन में कार्यालय में स्वच्छता की प्रशंसा की और नाको पदाधिकारियों के साथ स्वच्छता शपथ लीं उन्होंने स्वच्छता को आदत के रूप में अपने आचरण में शामिल करने और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखने की भी सलाह दी ।

सुश्री रखुनई लानाह, आई.ई.सी. और एम.एस., नाको

मां से बच्चे को एच.आई.वी. और उपदंश के संचारण का उन्मूलन करने के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला

2020 तक ई.एम.टी.सी.टी. (मां से बच्चे में एच.आई.वी. और उपदंश के संचारण का उन्मूलन) का लक्ष्य हासिल करने में चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न चुनौतियों, समाधान एवं तरीकों पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए ए.एस. और डी.जी. (नाको और आर.एन.टी.सी.पी.) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 24 से 28 अक्टूबर, 2018 के दौरान राष्ट्रीय ई.एम.टी.सी.टी. कार्यशाला का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान, एच.आई.वी. की जांच मानव संसाधन युक्तीकरण, कार्य अंतरण और रिपोर्टिंग के मसलों, समुदाय आधारित जांच को मजबूत करके पहले 90 तक पहुंचने की कार्यनीति, साथी की जांच, एच.आर. यौक्तीकरण, टॉस्क शिफ्टिंग और रिपोर्टिंग प्रणालियों में अंतर पर प्रमुखता से चर्चा की गई। बैठक के दौरान, ए.आर.टी. प्रारंभ करने और छह हफ्ते की उम्र में नवजात शिशु निदान

दिल्ली में मां से बच्चे में एच.आई.वी. और उपदंश के संचारण का उन्मूलन करने के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान गणमान्य व्यक्तियों के साथ सहभागी

(ई.आई.डी.) और गर्भवती महिलाओं में अनुपालन सहित महत्वपूर्ण पी.पी.टी.सी.टी. माइलस्टोन प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया था। बैठक में पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के बेहतर अनुपरीक्षण और ऐसी प्रणाली पर सर्वसम्मति थी, जिसे ई.एम.टी.सी.टी तक पहुंचने के लिए मजबूत बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें पी.एल.एच.आई.वी. – ए.आर.टी. लिंकेज प्रणाली (पी.ए.एल.एस.) में देश का निवेश

शामिल है जो अंततः विश्व स्वास्थ्य संगठन वैधता के लिए अपेक्षित ई.एम.टी.सी.टी के प्रलेखन को बढ़ावा देगा। ई.एम.टी.सी.टी. सूचकों की निगरानी करने के लिए एक ग्रेडिंग टूल तैयार किया गया है, राज्य और जिलों की अच्छा, बेहतर एवं सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी पहचान की गई है। यह पहल पूरे भारत में एच.आई.वी. और जन्मजात उपदंश की पी.पी.टी.सी.टी. की स्थिति की जानकारी सामने लाने में महत्वपूर्ण रहा है। अविच्छिन्न इंटरनेट संपर्क – यह पी.ए.एल.एस. में डाटा प्रविष्टि में एक बड़ी बाधा थी। इस चुनौती से निपटने के लिए ऑफलाइन पी.ए.एल.एस. डाटा प्रविष्टि प्रणाली शुरू की गई थी। यह सभी आई.सी.टी.सी. काउंसलरों के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साबित होगी।

डॉ. आशा हेगड़े, बी.एस.डी., नाको
डॉ. विशाल यादव, बी.एस.डी., नाको

एच.आई.वी./एड्स ओ.वी.सी. सामाजिक सुरक्षा परियोजना पर राष्ट्रीय प्रसार बैठक

ओ.वी.सी. परियोजना चरण I के प्रसार के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श के दौरान श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको और आर.एन.टी.सी.पी.) अन्यस गणमान्यस व्यनक्तियों के साथ

दिल्ली में 29 मई, 2018 को श्री संजीव कुमार, अपर सचिव और महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.) की अध्यक्षता में अनाथ एवं असुरक्षित बच्चे (ओ.वी.सी.) परियोजना चरण 1 के प्रसार पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया था। ओ.वी.सी. परियोजना ओ.वी.सी. की सामाजिक सुरक्षा के लिए विस्तृत देखभाल, सहायता एवं उपचार और लिंकेज एवं ग्रहण के प्रति समर्पित है।

उदेश्यों

1. ओ.वी.सी. परियोजना चरण की मुख्यश शिक्षाओं का प्रसार करना
2. अन्यय राज्यों में ओ.वी.सी. परियोजना के विभिन्न मॉडलों को दोहराना

श्री संजीव कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में एच.आई.वी./एड्स के मसले को "गैर – चिकित्सीय" कहकर संबोधित किया और इसे "एक मानवीय समस्या" के रूप में मान्यता देने की वकालत की। उन्होंने एच.आई.वी. के साथ जीवन बिता रहे बच्चे के आंसुओं से भरे एक पत्र के अपने निजी अनुभव के बारे में बताया, जो उसके जीवन के विस्तृत विवरण से भरा और उसमें एक मासूम प्रश्न था कि, "मेरी क्या गलती थी कि मुझे यह मिला?", बच्चे काफी हद तक असहाय और बेजुबान हैं।

बच्चों के सशक्तीकरण से वे राज्य के विभागों के माध्यम से अपने अधिकारों को पाने में समर्थ बनेंगे। उन्हें अपने कार्यक्रमों में एक ओ.वी.सी. घटक का निर्माण करना होगा। सी.ए.बी.ए के विषय पर ओ.वी.सी.

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको और आर.एन.टी.सी.पी.) कार्यशाला में सहभागियों को संबोधित कर रहे हैं

परियोजना की आई.ई.सी. सामग्रियां भी शुरू की गई थी।

राज्य एड्स नियंत्रण बोर्ड (एस.ए.सी.एस.), जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि, विकास साझेदार, परियोजना निदेशक आदि इस कार्यशाला के दौरान उपस्थित थे। पूरी कार्यशाला को पांच सत्रों में विभाजित किया गया था। महत्व वाले क्षेत्रों में सभी असुरक्षित सी.ए.बी.ए. के लिए पहचान, मूल्यांकन और सेवा सुपुर्दगी बढ़ाना और ओ.वी.सी./सी.ए.बी.ए. हस्तक्षेपों की जरूरत शामिल थे। कर्नाटक स्वास्थ्य संवर्धन ट्रस्ट (के.एच.पी.टी.) द्वारा ओ.वी.सी. सामाजिक सुरक्षा परियोजना के चरण 1 की प्रमुख सीख और चुनौतियों के बारे में प्रमुखता से बताया गया। राज्य से आए प्रतिनिधि सी.ए.बी.ए. के लिए सेवा सुपुर्दगी तैयार करने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीतियां विकसित करने में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल करने के लिए संबंधित विभागों को शामिल करने पर सहमत थे। इसमें ओ.वी.सी. से निपटने के दृष्टिकोण को अनुकूल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

कार्यशाला के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रथमेश, (चाइल्ड लीडर) और स्नेहग्राम के कम्युनिटी लीडर कैलेश द्वारा अपने अनुभव को साझा करना था, उन्होंने प्राथमिक हितधारक के अपने नजरिये और बेहतर भविष्य और सी.एल.एच.आई.वी. के स्वस्थ जीवन के लिए सीखे गए अनुभव के बारे में बताया। कार्यशाला के दौरान, यू.एस.ए.आ.ई.डी. ने की पॉपुलेशन विशेषकर महिला सैक्स वर्करों (एफ.एस.डब्ल्यू.) के बच्चों के साथ करीब से काम करने की जरूरत पर बल दिया ताकि संवेदना के साथ बाल मनोवैज्ञानिक मसलों का समाधान किया जा सके। इसमें कई पॉजिटिव प्रकरण अध्ययन थे जो ओ.वी.सी. चरण 1 के नतीजों के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, इसमें से एक प्रकरण बच्चे का था जो अपनी शिक्षा को इसलिए जारी रख सका क्योंकि उसकी मां को परियोजना कर्मी की सहायता से एक आय प्रमाणपत्र मिल गया था।

"ओ.वी.सी. आसान काम नहीं है, ओ.वी.सी. को बढ़ाने और इसका राष्ट्र व्यापी प्रसार करने के लिए आसान कार्य राज्य स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं।"
डॉ. नरेश गोयल, डी.डी.जी. (आई.ई.सी. व एम.एस.), नाको

"ओ.वी.सी. के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए भारत में किए गए प्रयासों से एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं देखरेख के क्षेत्र में शानदार प्रगति देखने को मिली है।" श्री ओसर्स सिधवा, यू.एस.ए.आई.डी.

"एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित सभी आबादियों की 100 प्रतिशत कवरेज और संपूर्ण दृष्टिकोण मुहैया कराने की जरूरत है। हमें एक चैनल के रूप में काम करना चाहिए और अंतर को समाप्त करने में सहायता करनी चाहिए। ओ.वी.सी. परियोजना का ध्यान मुख्य आबादियों के बच्चों पर अधिक होना चाहिए, जहां बच्चे जोखिमपूर्ण और खतरनाक वातावरण में रहते हैं।"
श्री आलोक सक्सैना, संयुक्त सचिव, नाको

"जब ओ.वी.सी. को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की बात आती है तो "सोच में अंतर" आ जाता है। क्या हम इस समूह के लिए अपने बजट का 8 प्रतिशत भाग रख सकते हैं, जो एच.आई.वी. आबादी का 8 प्रतिशत है।" श्री मनोज परदेशी, एन.सी.पी.आई+

"मैं ओ.वी.सी. से लाभान्वित 55,000 बच्चों की ओर से यू.एस.ए.आई.डी. का धन्यवाद करता हूं और इसमें 4 लाख बच्चे और शामिल करने का लक्ष्य है।" डॉ. ट्राय कनिंघम, के. एच.पी.टी.

निष्कर्ष और भावी योजना

- सभी राज्यों में ओ.वी.सी. परियोजना का विस्तार करने के लिए यू.एस.ए.आई.डी. ने ओ.वी.सी. परियोजना के चरण 2 में सर्वाधिक असुक्षित बच्चों तक पहुंच बना कर 'नेट का विस्तार करने' और मुख्य आबादियों के बच्चों के साथ करीब से काम करने पर जोर दिया।
- विभिन्न संबंधित विभागों के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने और योजनाओं की समीक्षा कर लेने के बाद आगे चर्चा की जाएगी। इस पर आगे की कार्यवाही करने के लिए एस.ए.सी.एस. एक कार्ययोजना तैयार करेगी।

सुश्री सोनल वालिया, आई.ई.सी. और एम.एस., नाको,
श्री रवि भूषण, ओ.वी.सी. परियोजना

भारत में मां से बच्चे में एच.आई.वी. और उपदंश के प्रसार का उन्मूलन करने पर राष्ट्रीय कोर ग्रुप की पांचवी बैठक आयोजित

डॉ. अशोक कुमार, पूर्व अपर डी.जी.एच.एस. अध्यक्ष एन.सी.जी. कार्यशाला में सभा को संबोधित कर रहे हैं

भारत में एच.आई.वी. और उपदंश के मां से बच्चे कोसंचारणका उन्मूलन करने के संबंध में राष्ट्रीय कोर ग्रुप की पांचवी बैठक नई दिल्ली में 21 मई, 2018 को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. अशोक कुमार, पूर्व अपर डी.जी.एच.एस और अध्यक्ष एन.सी.जी. द्वारा की गई; इसकी सह–अध्यक्षता डॉ. डी.सी.एस. रेड्डी और डॉ. के.एस. सचदेवा, उप महानिदेशक, नाको द्वारा की गई, इसमें भाग लेने वालों में एन.सी.जी. के सदस्य, नाको के पदाधिकारी, विकास साझेदारों, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सी.एच.ए.आई के प्रतिनिधि प्रमुख थे।

उदेश्यों

1. ई.एम.टी.सी.टी. डाटा वैधीकरण कार्य के चरण 2 के लिए ई.एम.टी.सी.टी. प्रक्रिया की व्याप्ति औरप्रभाव लक्ष्यों की समीक्षा करना।
2. ई.एम.टी.सी.टी. चरण–2 कार्यक्रम समीक्षा, डाटा प्रमाणीकरण ई–वैलीडेशन;प्रयोगशाला मूल्याँकन और सहायक परिवेश के नयाचारों की समीक्षा करना।

श्री तेजल मलिक,
पी.पी.टी.सी.टी., नाको

भारत में पी.डब्ल्यू.आई.डी. के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक परामर्श

श्री आलोक सक्सेभना, संयुक्त् सचिव, नाको कार्यशाला में सभा को संबोधित कर रहे हैं

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने इंडिया एच.आई.वी./एड्स एलायंस के साथ मिलकर श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको की अध्यक्षता में 17 और 18 मई, 2018 को इंजेक्शनद्वारा स्वापकपदार्थ लेने वाले व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.आ.ई.डी.) के लिए आई.ई.सी. सामग्रियां तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समुदाय परामर्श का आयोजन किया।

उदेश्यों

1. आई.डी.यू. और उनके यौन साथियों के लिए समुदाय एवं जेन्डोर संवेदी आई.ई.सी. सामग्रियां तैयार करना।
2. सेवा उद्ग्रहण का सुदृढ़ीकरण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये आई.डी.यू. समुदाय के लिए अधिकारों पर आधारित हैं, एच.आई.वी./एड्स अधिनियम के बेहतर उपयोग के मार्गों की योजना बनाना।
3. कार्यनीति पर अंतरालों की पहचान करना और विनिर्दिष्टा रूप से आई.डी.यू. से संबंधित आई.ई.सी. के लिए राष्ट्रीय परियोजना में प्रत्युत्तरों की संस्तुनति करना।

इस परामर्श में यू.एस.ए.आई.डी., यू.एन.एड्स, डब्ल्यू.एच.ओ. विश्व बैंक, यूनिसेफ, एफ.एच.आई., आई.एल.ओ. के विकास साझेदारों, विभिन्न एस.ए.सी.एस. प्रतिनिधियों और समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परामर्श के दौरान, एच.आर.जी.–पी. डब्ल्यू.आई.डी., एम.एस.एम., टी.जी., एफ.एस.डब्ल्यू. सेतुआबादी के लिए मौजूदा आई.ई.सी. सामग्री की भी समीक्षा की गई थी ताकि बदलते परिदृश्य एवं समुदायों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पुनरीक्षा की आवश्यकता का आकलन और पहचान की जा सके। कार्यशाला के अंत में, विभिन्न मसलों जैसे सुरक्षित इंजेक्शन, फोड़ा रोकथाम और उपचार, कंडोम का उपयोग, अतिमात्रा की रोकथाम एवं उपचार, उपचार साक्षरता–ओ.एस.टी., एच.सी.वी., ए.आर.टी. अनुपालन और सुइयों एवं सिरिंज के अपशिष्ट निपटान पर भी चर्चा की गई थी, एक कार्यनीति दस्तावेज भी तैयार किया गया था, जिसके आधार पर नाको पी.डब्ल्यू.आई.डी. के लिए एक संवाद योजना तैयार की जाएगी। इस परामर्श के बाद, नाको भी अन्य मुख्य आबादी विनिर्दिष्ट कार्यशालाएं/बैठकें आयोजित करेगा ताकि अगली पीढ़ी की आई.ई.सी. सामग्रियां सुनिश्चित की जा सकें जो मिशन संपर्क के उद्देश्य और परिदृष्टिमें योगदान करेंगे।

सुश्री निधि रावत, आई.ई.सी. एवं
एम.एस., नाको

'भारत में रक्त की आवश्यकता के राष्ट्रीय अनुमान' पर अध्ययन

भारत में रक्त आवश्यककता का राष्ट्रीय आकलन अध्ययन – 2017 का विमोचन

"भारत में रक्त की आवश्यकता का राष्ट्रीय आकलन" पर एक अध्ययन, जो अपनी तरह का दुनिया में पहला अध्ययन है, में रक्त की नैदानिक मांग और आपूर्ति एवं उपयोग की जरूरत वाली आबादी का अनुमान लगाया है। अध्ययन के अनुसार, आबादी को 26.4 मिलियन यूनिट की जरूरत है, जो देश को देश में रक्त और इसके घटकों की जरूरत को पूरा करने के लिए संपूर्ण रक्त की 26.4 मिलियन यूनिट की आवश्यकता को दर्शाता है। स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों से प्राप्त होने वाली मांग को पूरा करने के लिए 14.6 मिलियन यूनिट की नैदानिक मांग का अनुमान लगाया गया था; नैदानिक मांग की तुलना

में वर्तमान आपूर्ति 13.5 मिलियन यूनिट थी। लगभग 55% आवश्यकता को आपूर्ति में परिवर्तित किया गया था, और अंतर को कम करने के लिए एक बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रति बिस्तर समग्र नैदानिक मांग एक वर्ष में 9.2 यूनिट पाई गई थी, नैदानिक मांग प्रति बिस्तर के साथ समायोजित बिस्तर अधिभोग दर (बी.ओ.आर.) 11.2 यूनिट प्रतिवर्ष थी। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि 3.43 प्रतिशत पात्र आबादी को देश की अनुमानित नैदानिक मांग को पूरा करने के लिए वर्ष में एक बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए। अध्ययन में एक मॉडल का सृजन भी किया गया था जिसका उपयोग जिला और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों एवं एकल इकाइयों द्वारा अपनी रक्त की जरूरत का अनुमान लगाने में किया जा सकता है। अध्ययन में योजनाबद्ध तरीके से स्वैच्छिक रक्तदाता कार्यक्रम पर पुनः ध्यान केन्द्रित करने के लिए ठोस प्रयास करने पर जोर दिया गया है। हालांकि मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति और संग्रहण सही है मगर उपलब्ध रक्त के वितरण में समस्या है, इसलिए सुलभता समान रूप से नहीं है। यह सिर्फ रक्तदाता या रक्तदान का मसला नहीं है बल्कि मांग वाली जगह पर रक्त को उपलब्ध कराना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समान रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एकसमान उच्च गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, प्रबंधन, सर्वनिष्ठ वस्तुसूची, और उचित विनियामक रूपरेखा की जरूरत को पूरा करने की आवश्यकता है।

रक्तदान इंडिया– एक सामाजिक पहल

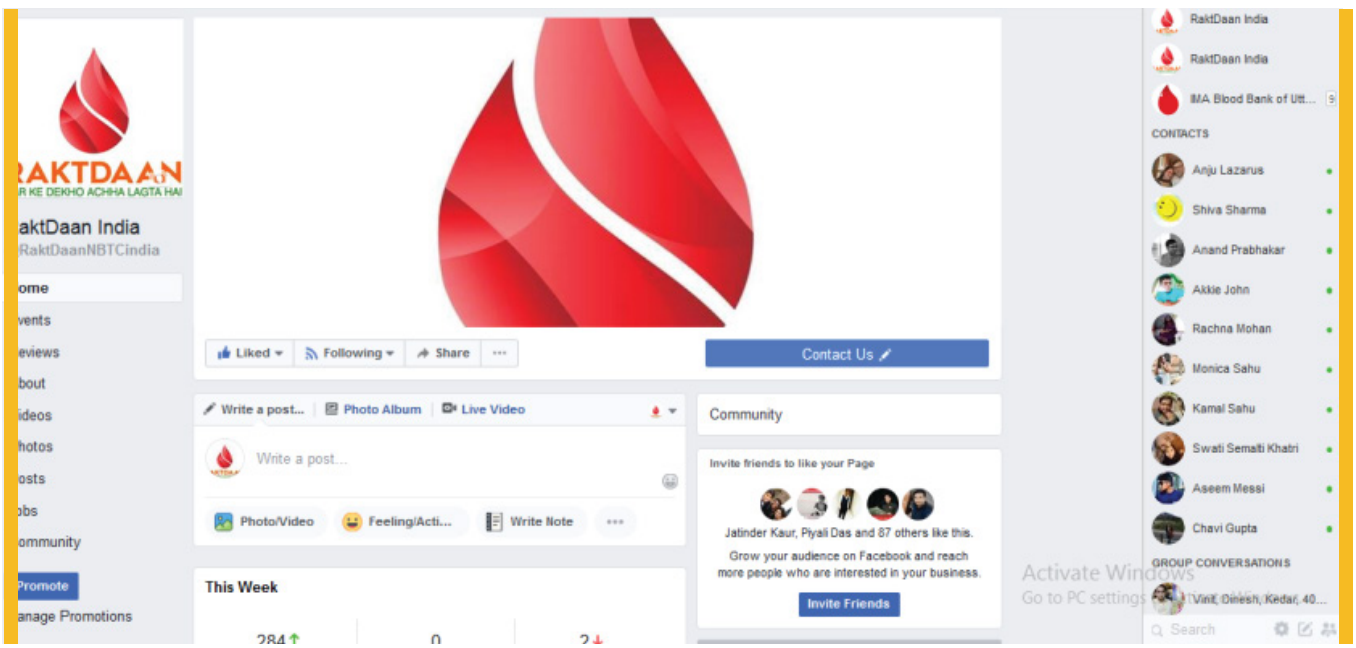

रक्तदान के बारे में जागरूकता फैलाने और स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों और रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंकों में जाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने के लिए एन.बी.टी.सी. ने सोशल मीडिया पहल – रक्तदान इंडिया शुरू किया है। रक्तदान इंडिया को 1 से 30 जून, 2018 तक एक माह के अभियान के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें लोगों को ब्लड बैंकों में आउटडोर और इनहाउस स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के बारे में बताया गया था। कई जानी–मानी हस्तियों ने रक्तदान इंडिया अभियान का समर्थन किया था।

डॉ. शोभिनी राजन, ए.डी.जी., नाको,
श्री जॉली जे. लाजारूस (वी.बी.डी.), नाको

'चंडीगढ़ में एन.ए.सी.पी. IV में सार्वजनिक निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर को मजबूत करना'' के संबध में क्षेत्रीय कार्यशाला

डॉ. नरेश गोयल, डी.डी.जी. (आई.ई.सी. व एल.एस.), नाको क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान सहभागियों के साथ

नाको द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और हिमाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस. के साथ मिलकर चंडीगढ़ में 24 और 25 मई, 2018 को 'एन.ए.सी.पी. IV में सार्वजनिक निजी प्रत्युत्तर को मजबूत करना' पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. नरेश गोयल, उप महानिदेशक, नाको; डॉ. बलदेव कुमार, परियोजना निदेशक, हिमाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस. और डॉ. वीना सिंह, परियोजना निदेशक, हरियाणा एस.ए.सी.एस. द्वारा किया गया था।

उदेश्यों

एच.आई.वी./एड्स, तपेदिक और संबंधित मसलों पर जागरूकता का सृजन करने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों, नियोक्ता संगठनों, व्यापार संघों, विभागों सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करना।

श्रम विभागों, कामगार शिक्षा एवं विकास डेटोपैंट थेंगदी बोर्ड (पुराना नाम सी.बी.डब्ल्यू.ई.) के प्रतिनिधियों और विभिन्न उद्योग जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, जी.एम.आर.–टॉल प्लाजा, जी.एम.आर. फाउंडेशन, हेल्पेज इंडिया, आनंद ऑटोमोटिव, विप्रो, सिप्ला, मोरपेन लैब्स, सन फार्मा, के.सी.सी.आई., एसएएफएल, आठ राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, दिल्ली और कर्नाटक से एस.ए.सी.एस पदाधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला औपचारिक एवं अनौचारिक क्षेत्र में एच.आई.वी./एड्स हस्तक्षेप के अनुभव, विभिन्न पेशों में कामगारों के बीच एच.आ. ई.वी. पॉजिटिविटी पर आई.सी.टी.सी. डाटा के विश्लेषण, उद्योग की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, फॉस्ट ट्रैक पर वी.सी.टी. को बढ़ावा देने की कार्यनीति, कार्यस्थल पर कलंक और भेदभाव को कम करने पर केन्द्रित थी। फील्ड विजिट के लिए अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन मुख्य लोकेशन थी।

मुख्य निष्कर्ष

- नियोक्ता संगठनों (भारतीय उद्योग परिसंघ, चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री, हिमाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदि) को एकजुट करना।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों का संवेदीकरण किया गया और कार्यस्थल पर एच.आई.वी. एवं तपेदिक पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्हें संगठित किया गया।
- श्रम विभाग और केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड एच.आई.वी./एड्स हस्तक्षेप के लिए एस.ए.सी.एस. को सहायता प्रदान करेंगे और विभिन्न उद्योगों को एकजुट करेंगे।
- प्रत्येक एस.ए.सी.एस. के लिए कार्य पर वी.सी.टी. अभियान को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, दिल्ली और कर्नाटक ने कार्यशाला में भाग लिया।
- हिमाचल एस.ए.सी.एस. और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने बद्दी और नालागढ़ में कार्यस्थल में एच.आई.वी. हस्तक्षेप के लिए सहयोग करने और अधिक उद्योगों को एकजुट करने पर सहमति जताई।

भारत में प्रमुख पत्तनों में एच.आई.वी./एड्स हस्तक्षेप – एक अपडेट

पोत परिवहन मंत्रालय ने पोत परिवहन मंत्रालय और नाको के बीच हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अंतर्गत पत्तन कामगारों, नाविकों, ट्रकरों, एकल पुरूष प्रवासियों, और अन्य असुरक्षित आबादी के लिए एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम में सहायता, देखभाल और सहायता एवं उपचार सेवाएं प्रदान की हैं। कुल 12 प्रमुख पत्तनों को संगठित किया गया है और संबंधित एस.ए.सी.एस. के साथ गठजोड. करके पोर्ट ट्रस्ट के चिकित्सा विभाग की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, आई.सी.टी.सी., एफ.आई.सी.टी.सी., एस.टी.आई. क्लीनिक और ए.आर.टी. क्लीनिक स्थापित करने पर जोर दिया गया। एच.आई.वी./एड्स पर प्रमुख पत्तनों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार आसपास के समुदायों में भी किया गया है।

एस.ए.सी.एस. के साथ मिलकर प्रमुख पत्तनों द्वारा शुरू की गई गतिविधियां

- मुंबई पोर्ट ट्रस्टः प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.), चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कर्मचारियों के लिए सघन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। 1 आई.सी.टी.सी., 4 एफ.आई.सी.टी.सी. और 2 एस.टी.आई. क्लीनिक काम कर रहे हैं। आसपास के समुदायों में 10 से अधिक संवेदीकरण एवं एच.आई.वी. जांच शिविर आयोजित किए गए थे।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जे.एन.पी.टी.), रायगढ़ः जे.एन.पी.टी. के कर्मचारियों, परिवारों और आसपास के समुदायों के लिए संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। पोर्ट के आसपास और ट्रक पार्किंग स्लॉट के निकट रह रहे समुदायों के लिए स्थानीय एन.जी.ओ. के साथ मिलकर समुदाय आधारित जांच की गई। एफ.आई.सी.टी.सी. की स्थापना की गई। एच.आई.वी./एड्स हस्तक्षेप के लिए 6 स्वास्थ्य शिक्षक, पर्यवेक्षक, सलाहकार और चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय कर्मचारी नियुक्त किए गए।
- मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट (एम.पी.टी.), गोवाः नवंबर, 2017 में एम.पी.टी. और गोवा एस.ए.सी.एस. के संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक हुई थी। चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। पोर्ट अस्पताल में एफ.आई.सी.टी.सी स्थापित किया गया था। वर्ष 2017–18 के दौरान 607 जांचपूर्व सलाह और स्वैच्छिक जांच की गई थी।
- दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांडलाः पोर्ट ट्रस्ट ने एक आंतरिक समिति गठित की और बाद में "एच.आई.वी./एड्स पर एक कार्यस्थल नीति" अंगीकार की गई। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 2596 लोगों का संवेदीकरण किया गया।
- पारादीप पोर्ट ट्रस्टः एच.आई.वी./एड्स पर एक कार्यस्थल नीति तैयार की गई। एफ.आई.सी.टी.सी. को पोर्ट अस्पतालों में शुरू किया गया। पोर्ट कर्मियों और आसपास के समुदायों के लिए एच.आई.वी. की जांच आयोजित की गई। पोर्ट क्षेत्र में ट्रकरों की नियमित जांच की गई और स्थानीय एन.जी.ओ. जैसे सी.ए.डी. और आई.आर.डी.एम.एस. को शामिल किया गया।

- कोलकाता पोर्ट ट्रस्टः सेंटनरी अस्पताल (पोर्ट ट्रस्ट) द्वारा एच.आई.वी./एड्स के लिए कार्यस्थल नीति शुरू की गई। चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय कर्मचारियों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मई, 2017 में आई.सी.टी.सी. स्थापित किया गया। पत्तनके कर्मचारी और आसपास के लोग एच.आई.वी. की जांच की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
- कमरजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नईः एच.आई.वी./एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वैच्छिक आधार पर 199 कर्मचारियों की एच.आई.वी. की जांच की गई। कर्मचारियों, बी.ओ.टी. टर्मिनलों, ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों, सी.आई.एस.एफ. कर्मियों आदि के लिए के.पी.एल. द्वारा समय–समय पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
- चेन्नई पोर्ट ट्रस्टः चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आई.सी.टी.सी. को शुरू किया गया है। पत्तनन्यासके प्रशिक्षण संकायवर्गके लिए टी.ओ.टी. का आयोजन किया गया। पत्तन कर्मचारियों, सी.आई.एस.एफ. कर्मियों, ट्रकरों और ठेका कामगारों का नियमित रूप से संवेदीकरण किया जाता है। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों की वेतनपर्चीमें एच.आई.वी. के संदेश प्रदर्शित किए गए हैं।
- वी.ओ. चिदंबरनर पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिनः लॉरी पार्किंग क्षेत्र के परिसर में ट्रक ड्राइवरों के लिए और वी.ओ.सी. पोर्ट ट्रस्ट की पास सेक्शन में जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। वी.ओ.सी. और डी.ए.पी.सी.यू.–थुटुकुडी द्वारा नियमित आधार पर आई.ई.सी. कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- कोचिन पोर्ट ट्रस्टः कोचिन पत्तन ने 'एच.आई.वी./एड्स पर कार्यस्थल नीति और 'एड्स नियमावली' को अंगीकार किया है। एफ.आई.सी.टी.सी. स्थापित की गई है जो कर्मियों, ट्रकरों, नाविकों, सी.आई.एस.एफ. कर्मियों की जरूरतों को पूरा करती है।
- न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट (एन.एम.पी.टी.), मंगलौरः 2960 चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्टः एस.ए.सी.एस. के साथ मिलकर आई.ई.सी. गतिविधियां शुरू की गई। पोर्ट क्षेत्रों में होर्डिंग लगाई गई।

'एन.ए.सी.पी. IV में सार्वजनिक निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर को मजबूत करना'' के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला

डॉ. नरेश गोयल, उप महानिदेशक, नाको सहभागियों को संबोधित करते हुए

नाको ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और सिक्किम एस.ए.सी.एस. के साथ मिलकर 26 और 27 सितंबर, 2018 को गंगटोक, सिक्किम में 'एन.ए.सी.पी. IV में सार्वजनिक निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर को मजबूत करना' पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन श्री अर्जुन कुमार घाटनी, माननीय स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्री, सिक्किम सरकार द्वारा किया गया, इसमें डॉ. नरेश गोयल, उप महानिदेशक, नाको; सुश्री जुग कैस्टिलो ब्रिगिटे, वरिष्ट तकनीकी विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा; डॉ. पेंपा तशरिंग भूटिया, स्वास्थ्य प्रधान निदेशक, सिक्किम सरकार उपस्थित थे।

क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य एच.आई.वी./एड्स पर जागरूकता पैदा करने के लिए सहायता प्राप्त करने और एच.आई.वी./एड्स के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रत्युत्तर को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों, नियोक्ता संगठनों, व्यापार संघों, विभागों सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करना था।

सहभागी

श्री अर्जुन कुमार घाटनी, माननीय स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवा एवं परिववार कल्याण मंत्री, सिक्किम सरकार, नाको पदाधिकारी, आई.एल.ओ. के पदाधिकारी और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के आई.ई.सी. और एम.एस. विभागों के अधिकारी, श्रम, पर्यटन, स्वास्थ्य और विधायी मामले, नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.), टी.सी.आई. फाउंडेशन के पदाधिकारी, मीडिया और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि।

इसके अलावा, सिक्किम में रंगित स्थित नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन के अस्पताल की फील्ड विजिट भी की गई, जिसमें एन.एच.पी.सी. द्वारा एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी और अनुभव साझा किए गए।

निष्कर्ष

- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्योग विशेषकर नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.) और सिक्किम की दवा कंपनियां एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम करने वाली गतिविधियों के लिए प्रेरित और एकजुट हुई थी।
- एन.एच.पी.सी. लिमिटेड जागरूकता पैदा करने, अभियान VCT@Work को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार, एच.आई.वी. के खिलाफ काम करने के लिए श्रम, पर्यटन, विधि मामले विभाग और सिक्किम एस.ए.सी.एस. संगठित होंगे। पर्यटन विभाग के भाग के रूप में टूर ऑपरेटर्स और टैक्सी ड्राइवर यूनियन को और संगठित किया जाएगा और एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं स्वैच्छिक जांच में शामिल किया जाएगा।
- आई.सी.टी.सी. डाटा का विश्लेषण, एच.आई.वी के लिए परीक्षित क्लायंट के पेशे में एच.आई.वी. पॉजिटिविटी की प्राथमिक घटना को आई.एल.ओ. द्वारा आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात, आई.सी.टी.सी. डाटा के आधार पर आठ एस.ए.सी.एस. (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड) के लिए कार्ययोजना तैयार की गई थी।
- ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेंशन (टी.सी.आई.एफ.) विभिन्न उद्योगों को संगठित करने के लिए पक्षसमर्थन और संवेदीकरण प्रदान करेगी। टी.सी.आई.एफ. ट्रांसपोर्ट कामगारों, प्रवासियों आदि पर लक्षित एच.आई.वी./एड्स जागरूकता गतिविधियों के लिए ट्रांसपोर्टर और अन्य संबंधित संगठन संस्थानों को संगठित करने के लिए भी सहायता मुहैया कराएगा।
- आई.एल.ओ. कार्यरत आबादी में एच.आई.वी. संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में VCT@Work को

- बढ़ावा देने और गैर–परंपरागत साझेदारों (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम) को शामिल करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हितधारकों और गतिविधियों को संगठित करने के लिए तकनीकी सहायता देने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
- आई.एल.ओ. विभिन्न पेशों में एच.आई.वी. के खतरों को कम करने के लिए क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए एच.आई.वी. के लिए वर्ल्ड ऑफ वर्क के प्रत्युत्तर पर राज्य परामर्श में एस.ए.सी.एस. को तकनीकी सहायता और समर्थन मुहैया कराएगा।

श्री आशीष वर्मा, आई.ई.सी. व एम.एस., नाको,
श्री उत्पल, आई.ई.सी. व एम.एस., नाको

मेनस्ट्रीमिंग एवं सहभागिता और रिपोर्टों की साझेदारी का सुदृढ़ीकरण करने के लिए अंतर–मंत्रालय बैठक

मेनस्ट्रीमिंग और साझेदारी को मजबूत करने केलिए अंतर–मंत्रालय बैठक के दौरान गणमान्य व्यक्तियों के बीच संवाद

नाको ने एच.आई.वी. से संक्रमित और पीड़ित लोगों और जोखिमग्रस्त आबादियों के लिए जोखिम को कम करने, एच.आई.वी. संबंधी सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के एकीकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ गठबंधन किया है। अभी तक, नाको द्वारा 16 सहमति पत्रों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए नाको में 12 सितंबर, 2018 को श्री आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, उनके अंतर्गत संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत एच.आई.वी./एस.टी.आई./एड्स से संबंधित सेवाओं और उपचार पर एच.आई.वी./एड्स पर जागरूकता फैलाने वाले संदेश के साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने में सहायता लेकर साझेदारी को मजबूत बनाना था।

बैठक में आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेलवे एवं कोयला मंत्रालय ने भाग लिया था।

बैठक के दौरान, एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों पर रिपोर्ट को साझा करने और स्थापित की गई सेवाओं से संबंधित डाटा और स्वैच्छिक जांच के लिए दिए गए लाभों और उपचार पर प्रमुखता से चर्चा की गई। 2020 तक 90:90:90 के वैश्विक लक्ष्य को हासिल

करने में बेहतर समन्वय और डाटा साझा करने की प्रणाली नाको की मदद कर सकती है। यह उल्लेख किया गया था कि एन.ए.सी.पी. एक डाटा संचालित कार्यक्रम है और उपचार अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए डाटा साझा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

प्रणाली और उपचार प्रक्रिया विशेषकर एच.आई.वी. और टी.बी. सह–संक्रमण से निपटने में एकरूपता लाने के लिए अंतर–मंत्रालय समन्वय महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम संबंधी विभिन्न गतिविधियों और जांच एवं उपचार संबंधी सेवाओं के बारे में बताया। नाको, आई.सी.टी.सी./एफ.आई.सी.टी.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के जरिये सेवाओं मुख्यतया ए.आर.टी. के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाया गया था। ई.एम.टी.सी.टी. के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने, एच.आई.वी. पॉजिटिव मामलों को ए.आर.टी. केन्द्र से जोड़ने के लिए गर्भवती महिलाओं और एच.आई.वी. के संभावित नवजात शिशुओं का डाटा साझा करने पर चर्चा की गई थी।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम विशेषकर जांच और उपचार, टी.बी. सहित एच.आई.वी. और सह–संक्रमणों के उपचार के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बताया गया और इनको अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- नाको की टीम, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं, प्रत्येक मंत्रालय में मौजूद प्रणाली पर अधिक स्पष्टता विकसित करने, उपचार प्रक्रियाओं में अपेक्षित वृद्धि/बदलाव, प्रशिक्षण की जरूरत और आकलन, क्षमता निर्माण, दिशानिर्देशों को साझा करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में जाएगी।
- रिपोर्टिंग प्रणाली, साझेदारी, गठबंधन और मेनस्ट्रीमिंग गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी।

श्री आशीष वर्मा, आई.ई.सी. व एम.एस., नाको,
श्री उत्पल , आई.ई.सी. व एम.एस., नाको

सामाजिक और व्यवहारवादी परिवर्तन संवाद के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यशाला

सामाजिक एवं व्यवहारवादी परिवर्तन संवाद के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यशाला के दौरान सहभागी

मानेसर, में 14 और 15 दिसंबर, 2018 को सामाजिक एवं व्यवहारवादी परिवर्तन संवाद पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला के माध्यम से सहभागियों से उम्मीद की गई कि एस.बी.सी.सी. के व्यवहारवादी सिद्धांतों, सिद्धांतों, चरणों, फेसबुक और ट्विटर के जरिये व्यवहारवादी सिद्धांतों, परिवर्तन करने के लिए एकीकृत संवाद का उपयोग करने के तरीके और संवाद में संवाद दृष्टिकोण को तैयार करने और शोध को समझने की भूमिका में अनुभव की उनकी समझ बढ़ेगी।

सहभागी यहां से मिली जानकारी को लोगों तक पहुंचाएंगे और इनका उपयोग अपने आई.ई.सी. और एस.बी.सी.सी. संबंधी कार्यों में करेंगे। कार्यशाला का जोर एस.बी.सी.सी. कार्यनीतियों पर सहभागियों की समझ बढ़ाने, एस.बी.सी.सी. में शोध और संवाद का उपयोग करने, विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर इसके एकीकरण पर था। कार्यशाला में मुख्यतया निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई 1) स्वास्थ्य व्यवहारवादी सिद्धांत 2) व्यवहार परिवर्तन में संवाद की भूमिका,
3) एकीकृत संवाद का निर्माण करने में सोशल मीडिया का उपयोग करना। कार्यशाला के दौरान, व्यवहारवादी परिवर्तन के लिए संवाद अभियान में शोध की भूमिका, परियोजना विकास के दौरान, संवाद की शिक्षण रूपरेखा और निगरानी मूल्यांकन, परियोजना कार्यान्वयन और परियोजना पूर्णता चरण पर प्रमुखता से चर्चा की गई।

कार्यशाला की प्रमुख शिक्षाएं:

1. संवाद की रूपरेखा का व्यवहारवादी सिद्धांतों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिएऔर हमेशा उद्देश्य, लक्ष्य श्रोता और परिस्थितिजन्य मांग को देखते हुए परिप्रेक्ष्य स्थापित किया जाना चाहिए।व्यवहारवादी परिवर्तन का संवाद एक सशक्त माध्यम है और संवाद अभियान तैयार करना एक चरणवारप्रणालीगत प्रक्रिया है।
2. आज के समय में सोशल मीडिया को व्यवहारवादी परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए संवाद के प्लेटफार्म के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
3. अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अभियान के लिए साक्ष्य आधारित होना अत्यंत जरूरी है। शोध को हमेशा एस.बी.सी.सी. अभियान विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहायक होना चाहिए।

डॉ. संजय रौत,
आई.ई.सी. एवं एम.एस., नाको

हेल्पलाइन – 1097 अपडेट

राष्ट्रीय एड्स नि:शुल्क नंबर–1097 सेवा का संचालन नाको द्वारा किया जाता है, यह सेवा 1 दिसंबर, 2014 को शुरु की गई थी। हेल्पलाइन 24*7 काम करती है और देश में 4 केन्द्रों में स्थित काउंसलर्स 12 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल्स का जवाब देते हैं। हेल्पलाइन के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स संबंधी मसलों के बारे में सूचना, सलाह, रेफरल और फीडबैक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं।

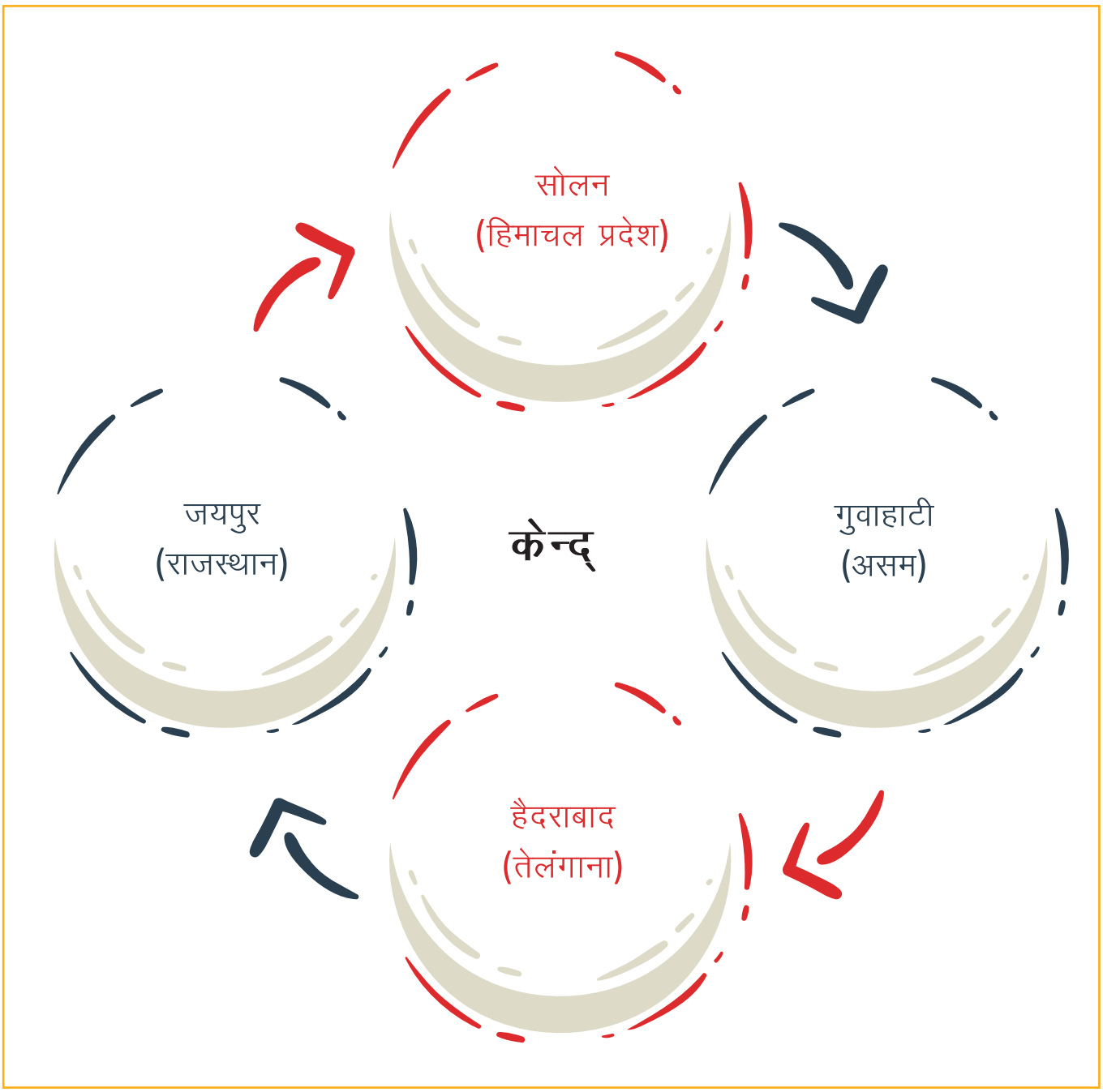

हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से फीडबैक सेवा के जरिये शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण अनुसूचीतैयार की गई है और इसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अधिकारयों द्वारा पहुंच हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रणाली कम समयसीमा के भीतर शिकायतों का निवारण करने में प्रभावी साबित होगी। अधिकांश कॉल करने वाले 21–30 आयु वर्ग से थे। कॉल करने वालों में 96% पुरुष थे। देश में केवल 4% महिलाएं ही एड्स हेल्पलाइन सेवा का उपयोग करती हैं। हेल्पलाइन के शुरू होने की तिथि से 30 सितंबर, 2018 तक प्राप्त की गई कुल कॉल्स में से 62% कॉल्स कनेक्ट की गई और 25% से अधिक कॉल करने वालों को एच.आई.वी./एड्स संबंधी मसलों के बारे में सूचना मुहैया कराई गई।

श्री बेन्जकमिन, आई.ई.सी.
एवं एम.एस., नाको

#KnowYourStatus

Do you know the right age to cast your vote?

Do you know your HIV status?

Go to the nearest Government Hospital for free Voluntary Counselling and Testing

@NACOINDIA | YouTube NACO INDIA | @NACOINDIA | 1097

संरक्षकः श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एवं आर.एन.टी.सी.पी.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

संयुक्त सचिव, नाकोः श्री अशोक सक्सेना, संयुक्त सचिव, नाको

संपादकः डॉ. नरेश गोयल, डी.डी.जी. (नाको)

संपादकीय पैनलः डॉ. आर.एस. गुप्ता (डी.डी.जी.), डॉ. ए.के. पुरी (डी.डी.जी.), डॉ. शोभिनी राजन (ए.डी.जी.), डॉ. राजेश राणा (राष्ट्रीय परामर्शदाता), नाको, सुश्री नेहा पाण्डेय (परामर्शदाता), नाको

नाको समाचार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सूचनापत्र है।

6वां तल और 9वा तल चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001। टेलीफोनः 011–4359930, फैक्सः 011–23731746 NACO

संपादन, डिजाइन एवं प्रकाशनः द विजुअल हाउस, ईमेलः : tvh@thevisualhouse.in

MOHFW_ India | www.mohfw.nic.in | www.pmindia.gov.in | www.mygov.in | www.facebook.com/NACOIndia/

मुफ्त और गुप्त एच.आई.वी परामर्श और जांच के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र (आईसीटीसी) से संपर्क करें

सरकारी अस्पतालों में एंटीरिट्रोवायरनल थैरेपी चिकित्सा केन्द्रों में एच.आई.वी का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।